

बिहार सरकार,

कृषि विभाग

पत्र संख्या-03/कृ०बजट-आवंटन-23/2015-276(आवंटन) /कृ०, पटना, दिनांक 21-03-2016
प्रेषक,

Mail/Fax

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, सारण (छपरा)।

विषय : राज्य योजना के अधीन सोनपुर मेला के आयोजन में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-21.01.2016 के आदेश के अनुपालन में ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय :

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-223 दिनांक-17.03.2016 द्वारा राज्य योजना के अधीन सोनपुर मेला के आयोजन में माननीय उच्च न्यायालय के दिनांक-21.01.2016 के आदेश के अनुपालन में ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र में से ₹66,40,000 (छियासठ लाख चालीस हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106-इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401001090106, विषयशीर्ष-2601-विज्ञापन एवं प्रकाशन मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. उपरोक्त ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र में से ₹12,80,000 (बारह लाख अस्सी हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0106- इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007890106, विषयशीर्ष-2601-विज्ञापन एवं प्रकाशन मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

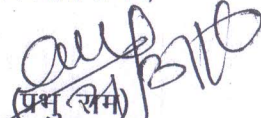
4. उपरोक्त ₹80,00,000 (अस्सी लाख रु०) मात्र में से ₹80,000 (अस्सी हजार रु०) मात्र का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०-1-उपशीर्ष-0134- इनटेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट, नई योजना, विपत्र कोड- P2401007960134, विषयशीर्ष-2601-विज्ञापन एवं प्रकाशन मद के अंतर्गत वित्तीय वर्ष, 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 वि० (2) दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

6. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. व्यय के तुरंत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 276(आवंतन)

/कृ०, पटना दिनांक 21-03-2016

प्रतिलिपि-
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

महालेखाकार बिहार, वीरचन्द पटेल पथ पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 276(आवंतन)

/कृ०, पटना दिनांक- 21-03-2016

प्रतिलिपि- वित्त विभाग, बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक,
पी०पी०एम० बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/ निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार पटना/संबंधित प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला उद्यान पदाधिकारी/मिशन निदेशक, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, कृषि विभाग, बिहार,
पटना/संबंधित जिला नोडल पदाधिकारी/उप निदेशक (शष्प), सूचना, बिहार, पटना/मुख्यालय स्थित सभी
पदाधिकारीगण/प्रशाखा पदाधिकारी, योजना शाखा, (सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार,
पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.

उप निदेशक, (शष्प), सूचना बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि
विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार
पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।
कृषि विभाग, बिहार, पटना।